Conduct of Election Rules, 1961

(Statutory Rules Order) **FORM 21C**

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested) Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 67- RAMGARH constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representative of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRIMATI SHAFIA ZUBAIR Address- VILL. POST RAMGARH [sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

PANKAJ SHARMA (RAS)

RETURNING PREICER

SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
ASSEMBLY CONSTITUENCY

67- RAMGARH

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

67-रामगढ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण,में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमति सिफया जुबेर पता ग्राम पोस्ट रामगढ़

(पता (जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्रा^{प्}त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा ं खडे किए गए / की गई) उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक़ रूप से निर्वाचित हो गए हैं

स्थान - अलवर तारीख – 31-01-2019

पंकज शर्मा (RAS)
रिष्टिदर्निंग अभिकारि
उपखण्ड अधिकारी, एवं र उपखण्ड अधिकारी, एवं र उपखण्ड क्वानिस्ट्रेट अलवर
विधानसभा क्षेत्र 67-रामगढ़